न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 33 / 2023

1. मनफूलराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी बरूवाला तहःरायसिंहनगर हाल आबाद 3 एसएसएम सियासर चौगान तहः खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– दिनांक :– 12.06.23

प्रार्थी अधिवक्ता श्री मनीराम जाखड़ द्वारा प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम में चक 3 एसएसएम ए मु0नं0 107 / 14 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 13, 18 ता 22 की 3.7935 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीद की थी। प्रार्थी मु0नं0 107 / 14 के किला नं0 23, 24, 25 में अस्थाई रूप से बने रास्ते का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है जो आज दिन तक निर्बाध रूप से चला आ रहा है। उक्त रास्ता मु0नं0 107 / 14 के किला नं0 23, 24, 25 में प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने के आदेश का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चक 3 एसएसएम ए के मु0नं0 107 / 14 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 13, 18 ता 22 की 3.7935 हैक्टर कृषि भूमि मनफूलराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी बरूवाला तहः रायसिंहनगर खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त मु0नं0 107 / 14 के पूर्वी मु0नं0 107 / 22 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है व मौके पर चालू है। उक्त मु0नं0 107 / 14 के किला नं0 4 ता 6, 14 ता 17 व मु0नं0 107 / 22 के किला नं0 11, 17 ता 25 कुल 3.9832 है0 कृषि भूमि लालीदेवी पत्नी हजारीराम जाति जाट निवासी 1 एसएसएम तहः खाजूवाला खातेदार के नाम दर्ज है। प्रार्थी मनफूलराम पुत्र पूराराम को अपने खेत मु0नं0 107 / 14 में जाने (आवागमन) के लिए वर्तमान में कोई रास्ता, रिकॉर्ड अनुसार नहीं लगता है। अतः मु0नं0 107 / 22 के लिए किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में मौके पर चालू रास्ता से नजदीकी रास्ता मु0नं0 107 / 14 के किला नं0 4, 5 में 2–2 बिस्वा रास्ता प्रस्तावित किया जाता है। जिसपर प्रस्तावित रास्ता की धारित भूमि के काश्तकार लालीदेवी पत्नी हजारीराम जाति जाट निवासी 1 एसएसएम खाजूवाला को नोटिस भिजवाया गया जिसके उपरान्त पत्रावली में हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय सुना गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए व धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा चक 3 एसएसएम ए मु0नं0 107 / 14 के किला नं0 4, 5 में 2–2 रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त कुल 04 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थी से नियमानुसार जमा करवाकर इस रास्ता के रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)